न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
037/2018 (GCMS 2018/00217)	29.01.2018	17.02.2021

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. रजत गुर्जर पुत्र राजकुमार गुर्जर (विक्रेता) मैसर्स वीर गुर्जर सवाईभोज मावा डीलर मिठाई बाजार, गांधी चौक चितौड़गढ़ निवासी मिठाराम जी का खेड़ा, प्रतापनगर चितौड़गढ़ (राज.)
2. राजकुमार गुर्जर पुत्र छोगालाल गुर्जर (मालिक) मैसर्स वीर गुर्जर सवाईभोज मावा डीलर मिठाई बाजार, गांधी चौक चित्तौड़गढ़ (राज0)

अप्रार्थीगण

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण संख्या का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्र सिंह राणावत ने विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपेन्द्र मिश्रा दिनांक 09.10.2015 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहे थे, और इनको राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक **FH/PFA/Notification/2011/440 Dated 25-07-2011** के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक/एफएसएसए/2016/465 दिनांक 03.05.2016 के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपेन्द्र मिश्रा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, को आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफएसएसए/एफ–168/2015/491 दिनांक 29.06.2015 के अनुसार उन्हे कार्य क्षेत्र जिला चितौड़गढ़ आवंटित किया गया था जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:04 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हैं। गजट नोटिफिकेशन, अधिसूचना एवं आदेश की सत्यापित छायाप्रतियाँ न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.10.2015 को समय 11.30 ए.एम पर मैसर्स वीर गुर्जर सवाईभोज मावा डीलर मिठाई बाजार, गांधी चौक चित्तौड़गढ़ पर पहुँचे। वहां पर रजत गुर्जर पुत्र राजकुमार गुर्जर (विक्रेता) उक्त फर्म में विक्रेता की हैसियत से खाद्य पदार्थ मावा (**Khoya**) मिठाई आदि आम जनता को निर्माण कर विक्रय कर रहे थे, एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। मौके पर गवाहान महेन्द्र सिंह एवं श्रवणराम की उपस्थिति में उन्होनें अपना परिचय पत्र विक्रेता को दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर एलूमिनियम की ट्रे में लगभग 4 किलो मावा (**Khoya**) रखा पाया गया। व्यापारी ने बताया कि उक्त मावा (**Khoya**) आम जनता को उपभोग एवं विक्रय हेतु तैयार किया गया है एवं विक्रय किया जा रहा है। मिलावट की शंका होने पर उक्त खाद्य पदार्थ मावा (**Khoya**) का नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर **V A** की प्रति गवाहान की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता व गवाहन व उन्होनें हस्ताक्षर कर विक्रेता को दी गयी। जो की न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त मावा (**Khoya**) में से 1 किलोग्राम मावा (**Khoya**) वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को रूपये 250/– नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर मौके पर उपस्थित गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये व तस्दीक कर उपेन्द्र मिश्रा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा मावा (**Khoya**) को चार बराबर भागों मे बाट कर चार डिब्बों मे अलग–अलग भरकर फोर्मलीन की 20–20 बूंदे डाल कर ढक्कन लगाकर अच्छी तरह एयर टाईट बन्द किया। उक्त नमुना भागों हेतु 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर लेबल चिपकाये लेबल पर खाद्य पदार्थ का नाम, स्थान व दिनांक आदि अंकित कर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने, गवाहान व व्यापारी ने हस्ताक्षर किये थे। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागजों में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-578** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोद से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। एक सील नमूना भाग के सीरे पर एक पेंदे पर एवं दाई और एवं एक बाई और लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें एवं सीलबन्द नमुनों पर गवाहान के हस्ताक्षर कराकर नमुने का पुर्ण विवरण लिखकर उनके द्वारा हस्ताक्षर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:04 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कर चारों नमूना भागों को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे में लिया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं मौके पर उपस्थित गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये व जिस सील से नमूना सील चपड़ी किया गया, उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका पंचनामा पर अंकित किया गया। फर्द रिर्पोट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्रवाहक के साथ खाद्य विशलेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाने हेतु भिजवाया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में जमा की खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से अलग अलग रसीद प्राप्त की गई जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2015/3965 दिनांक 17.11.2015 द्वारा ज्ञात हुआ कि उनके द्वारा उक्त मावा (**Khoya**) का नमूना वास्ते जाँच क्रय किया गया था जो कि अनसेफ होना पाया गया। जाँच रिर्पोट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। मैसर्स वीर गुर्जर सवाईभोज मावा डीलर मिठाई बाजार, गांधी चौक चित्तौड़गढ़ (राज.) को प्राप्त जांच रिपोर्ट की एक प्रति रजिस्टर्ड पत्र से प्रेषित की गई थी। जिसके आधार पर विक्रेता द्वारा दोबारा जांच हेतु अपील की गयी थी एवं रेफरल प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य नमूना सब–स्टैन्डर्ड होना पाया गया है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज क्रमांक एफएसएसए/2015/3965 दिनांक 17.11.2015 की पालना में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/5106 दिनांक 20.11.2017 के द्वारा समयावधि बढ़ाने हेतु आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) जयपुर के आदेश क्रमांक एफएसएसए/स.सी./2017/1293 दिनांक 11.12.2017 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। साथ ही अभिहित

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:04 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/5711 दिनांक 21.12.2017 के आवेदन खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्र सिंह राणावत को न्याय निर्णय आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है का पत्र मूल संलग्न है। उक्त प्रकरण में निम्न अभियुक्तगणो ने सब्सटेण्डर्ड मावा (**Khoya**) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियन 2011 की धारा 26 को उप धारा 2 (**II**) का उल्लघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित है। अतं में प्रार्थना की गई कि आवेदन न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत है कि उक्त अभियुक्तों को दण्डित करावें।

इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 10.01.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं हाजिर आया। जवाब हेतु अवसर चाहा जो दिया गया। दिनांक 17.02.2021 को अप्रार्थीगण के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण संख्या 1–2 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली को गुणावगुण पर निर्णय हेतु रखा गया एवं पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का मनन किया। उक्त प्रश्नगत खाद्य पदार्थ का नमूना लिये जाने की सूचना निर्धारित प्रारूप में फार्म नंबर **V-A** में विपक्षी को दी गई है जिसकी पुष्टि फार्म नंबर **V-A** से होती है। उस पर विपक्षी के हस्ताक्षर अंकित है। नमूना खरीद बिल/कैश मेमों पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर विक्रेता के रूप में अंकित है इससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ अप्रार्थी से क्रय किया गया है। फर्द रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त फर्द रिपोर्ट मौके पर दिनांक 09.10.2015 को बनाई गई है उस पर विपक्षी के हस्ताक्षर अंकित है। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला से रिपोर्ट संख्या **LS 505/Act/2015/545** दिनांक 15.10.2015 प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त रिपोर्ट विपक्षी को प्रेषित की गई है। जिस पर विपक्षीगण के आवेदन पर खाद्य पदार्थ का नमूना रेफरल प्रयोगशाला प्रेषित किया गया। निदेशक निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, भारत सरकार गाजियाबाद के विश्लेषण का प्रमाण–पत्र संख्या **107/Feb/16-RAJ** दिनांक 25.02.2016 प्रेषित की गई जो कि रिकार्ड पर है। विपक्षी संख्या 1 न्यायालय में उपस्थित हुये लेकिन किसी परिवाद का किसी भी प्रकार से

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:04 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। एवं विपक्षी संख्या 1–2 के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाने से परिवाद का खंडन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतुस्त दस्तावेजी साक्ष्य से संतुष्ट है, एवं प्रकरण की भी किसी प्रकार से अतिरिक्त शहादत की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। हमने निदेशक निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, भारत सरकार, गाजियाबाद की रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। निदेशक निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, भारत सरकार, गाजियाबाद की रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :–

CERTIFICATE OF ANALYSIS BY THE REFERRAL FOOD LABORATORY, GHAZIABAD (UP)
Certificate No. 107/Feb/16-RAJ
Certified that the sample bearing number Code No. & Serial No. AM-578 purporting to be a sample of Khoya was received on 21.01.2016 with Memorandum No. FSSA/2016/26 dated 15.01.16 from Designated Officer (Food Safety)-cum-Chief Medical & Health Officer, Chittorgarh (Rajasthan) for analysis.
The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows:
The seals on the sample container were intact and tallied with the specimen impression of scal given on copy of Form VI. Scals of Food Safety Administration Office, on cover of sample container, as well as, on outer cover of sample parcel were also intact & tallied with the specimen impression of seal enclosed with copy of memorandum forwarded separately.
Analysis Report

- **(i) Sample Description-Sample of Khoya was received in a plastic jar (not manufacturer's pack) kept in a wooden box and sealed by the food safety administration office.**
- **(ii) Physical appearance Sample of Khoya was free from fungal growth. insects and any other visible extraneous matter.**
- **(iii) Label- Nil**

Opinion: Sample of Khoya does not conform to the standards laid down under Regulation No 2.1.7(5) of Food Safety & Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations 2011. as the sample shows B.R. Reading of extracted fat at 40°C above the maximum prescribed limit, laid down in table below Regulation No. 2.1.10(2) (or Ghee) of FSS (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011. The sample is thus sub-standard under section 3(1)(zx) of FSS Act, 2006.

निदेशक निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, भारत सरकार, गाजियाबाद की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप **AM-578** उक्त खाद्य खाद्य पदार्थ मावा (**Khoya**) एफ.एस.एस.ए. की धारा **3(1)(zx)** का उल्लघंन करने के कारण अवमानक (**Sub-Standard**) का पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:04 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। अप्रार्थी का भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्त ने सब स्टेन्डर्ड मावा (**Khoya**) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा पदार्थ एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लंघन किया है। इनके द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थी को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थीगण को सब स्टेन्डर्ड मावा (**Khoya**) का विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है एवं अप्रार्थीगण रजत गुर्जर पुत्र राजकुमार गुर्जर (विक्रेता) मैसर्स वीर गुर्जर सवाईभोज मावा डीलर मिठाई बाजार, गांधी चौक चितौड़गढ़ निवासी मिठाराम जी का खेड़ा, प्रतापनगर चितौड़गढ़ (राज.) एवं राजकुमार गुर्जर पुत्र छोगालाल गुर्जर (मालिक) मैसर्स वीर गुर्जर सवाईभोज मावा डीलर मिठाई बाजार, गांधी चौक चित्तौड़गढ़ (राज0) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत उक्त दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 51 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान दिये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 51 के अनुसार–

49. General provisions relating to penalty.

While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,

(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,

(c) The repetitive nature of the contravention,

(d) Whether the contravention is without his knowledge, and

(e) Any other relevant factor,

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:04 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

51. Penalty for sub-standard food.
Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is sub-standard, shall be liable to a penalty which may extend to five lakh rupees.

ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** में अभियुक्त की दोषसिद्धि घोषित किये जाने से अभियुक्तगण श्री रजत गुर्जर पुत्र राजकुमार गुर्जर (विक्रेता) मैसर्स वीर गुर्जर सवाईभोज मावा डीलर मिठाई बाजार, गांधी चौक चितौड़गढ़ निवासी मिठाराम जी का खेड़ा, प्रतापनगर चितौड़गढ़ (राज.) एवं श्री राजकुमार गुर्जर पुत्र छोगालाल गुर्जर (मालिक) मैसर्स वीर गुर्जर सवाईभोज मावा डीलर मिठाई बाजार, गांधी चौक चित्तौड़गढ़ (राज0) को की दोषी सिद्धि होने से अभियुक्तगणों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन करने से अभियुक्त संख्या 1 श्री रजत गुर्जर पुत्र राजकुमार गुर्जर (विक्रेता) मैसर्स वीर गुर्जर सवाईभोज मावा डीलर मिठाई बाजार, गांधी चौक चितौड़गढ़ निवासी मिठाराम जी का खेड़ा, प्रतापनगर चितौड़गढ़ (राज.) को 20000/– अक्षरे बीस हजार रूपये एवं अभियुक्त संख्या 2 श्री राजकुमार गुर्जर पुत्र छोगालाल गुर्जर (मालिक) मैसर्स वीर गुर्जर सवाईभोज मावा डीलर मिठाई बाजार, गांधी चौक चित्तौड़गढ़ (राज0) को 30000/– अक्षरे तीस हजार रूपये अर्थात् कुल 50,000/– रूपये अक्षरे पचास हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **17.02.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:04 IST
Reason: SelfAttested